**लोक सुनवाई दिनांक– 23/07/2025, समय दोपहर 12.00 बजे, स्थान–प्राथमिक शाला भवन के सामने खाली मैदान, ग्राम–खुर्सीपार, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.)**

# कार्यवाही विवरण

**(1.) मेसर्स रिषभ मिनरल्स, (प्रो.–श्री उत्तम सिंह),खसरा नं. 26/1, 28, 29, 30/2 एवं 30/3, लीज एरिया–1.599 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–75,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–खुर्सीपार, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (वर्तमान में जिला – खैरागढ़ – छुईखदान–गंडई) (छ.ग.), (2.) मेसर्स सांईराम इंटरप्राईजेस (पार्टनर–श्री अजय मसीह), खसरा नं. 45 (पार्ट) लीज एरिया–1.619 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–30,038 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–खुर्सीपार, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ –छुईखदान–गंडई (छ.ग.), (3.) मेसर्स खुर्सीपार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री भुपेन्द्र सिंह सलूजा), खसरा नं.–73/2 (पार्ट), 90, 91/1, 91/2, 91/3, 102/1 एवं 102/2, लीज एरिया–2.042 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–40,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–खुर्सीपार, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–**

भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के अंतर्गत (1.) मेसर्स रिषभ मिनरल्स, (प्रो.–श्री उत्तम सिंह),खसरा नं. 26/1, 28, 29, 30/2 एवं 30/3, लीज एरिया–1.599 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–75,000 टन प्रतिवर्ष ग्राम–खुर्सीपार, तहसील–खैरागढ़, जिला–राजनांदगांव (वर्तमान में जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई) (छ.ग.), (2.) मेसर्स सांईराम इंटरप्राईजेस (पार्टनर–श्री अजय मसीह), खसरा नं. 45 (पार्ट) लीज एरिया–1.619 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–30,038 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–खुर्सीपार, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ –छुईखदान–गंडई (छ.ग.), (3.) मेसर्स खुर्सीपार लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.–श्री भुपेन्द्र सिंह सलूजा), खसरा नं.–73/2 (पार्ट), 90, 91/1, 91/2, 91/3, 102/1 एवं 102/2, लीज एरिया–2.042 हेक्टेयर, खदान उत्खनन क्षमता–40,000 टन प्रतिवर्ष, ग्राम–खुर्सीपार, तहसील – खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (छ.ग.) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु संयुक्त लोक सुनवाई के संबंध में परियोजना प्रस्तावकों के आवेदन के परिपेक्ष्य में राष्ट्रीय समाचार पत्र, बिजनेस स्टेण्डर्ड, नई दिल्ली दिनांक 16/06/2025 एवं दैनिक समाचार पत्र, नई दुनिया सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में दिनांक 16/06/2025 को लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तदानुसार लोक सुनवाई दिनांक 23/07/2025 को समय दोपहर 12.00 बजे, स्थान–प्राथमिक शाला भवन के सामने खाली मैदान, ग्राम–खुर्सीपार, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय अधिकारी, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, अरण्य भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़, कलेक्टर कार्यालय कलेक्टर, खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, खैरागढ़, जिला– खैरागढ़– छुईखदान– गंडई, महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खैरागढ़,

जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई, सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत घोठिया, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला, भिलाई, जिला–दुर्ग एवं मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर में रखी गई थी। उक्त परियोजनाओं के संबंध में आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई है।

उक्त परियोजनाओं की संयुक्त लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 23/07/2025 को समय दोपहर 12.10 बजे, स्थान–प्राथमिक शाला भवन के सामने खाली मैदान, ग्राम–खुर्सीपार, तहसील–खैरागढ़, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई (छ.ग.) में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई की अध्यक्षता में लोकसुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अपर कलेक्टर, जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 (यथा संशोधित) के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चंद्रा, रायपुर द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने, आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित जनसमुदाय ने उक्त परियोजना के संबंध में अपना आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टीप्पणियां दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. **श्री संतोष कुमार सिन्हा, ग्राम–खुर्सीपार, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
   - खदान खुलने से मुझे आपत्ति है।

2. **श्री अरविंद कुमार कोसरे, ग्राम–खुर्सीपार, जिला– खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
   - खदान खुलने से मुझे आपत्ति है।

3. **श्री पी.एल. मधुकर, ग्राम–खुर्सीपार, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
   - मैं खदान में काम करता हूं। मुझे पता है खदान खुलने से 20 से 50 लोगों को रोजगार मिलता है जिससे लगभग 100 परिवार का पालन पोषण होता है। इसीलिये खदान खुलना चाहिए।

4. **श्री नीरज, ग्राम–दबका, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
   - मैं खदान में काम करता हूं। पिछले 4 साल से गांव से कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

5. **श्री ओंमकार सिंह, ग्राम–कलकसा, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
- खदान खुलने से लोगों को रोजगार मिलता है। इसीलिये मैं समर्थन करता हूं।

6. **श्री सोनू कोसरे, ग्राम–खुर्सीपार, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
- खदान खुलने से खेतों का पानी खदान में चला जाता है। खदान का पानी पीने से जानवरों को क्षति होता है कोई व्यक्ति खदान के समीप आता है तो उसके जान जाने की भी संभावना रहती है।

7. **श्री अनिल कुमार बंजारे, ग्राम–घोटिया, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
- खदान खुलने से पानी का खिचाव हो जाता है इसीलिये खदान नहीं खुलना चाहिए।

8. **श्री हेमराज सिंह मौर, ग्राम–खुर्सीपार,जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
- खदान खुलने से पूरे गांववासी को आपत्ति है।

9. **श्री नितेश कुमार टण्डन, ग्राम–खुर्सीपार, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
- यहां के खदान समीर पोद्दार को 12 एचपी का कनेक्शन दिया गया है जिसके चलते गांव वालों का बिजली नही दिया गया है। यही आपत्ति है।

10. **श्री शिशुपाल सिंह वर्मा, ग्राम–खुर्सीपार, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
- खदान से आपत्ति है। खदान नहीं खुलना चाहिए। इससे बहुत नुकसान है।

11. **श्री निलेश बघेल, ग्राम–खुर्सीपार, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
- मुझे पता है खदान खुलने से 20 से 50 लोगों को रोजगार मिलता है। मैं खदान खुलने का समर्थन करता हूं।

12. **श्री महेश पाटिल, ग्राम–खुर्सीपार, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
- खदान खुलने से मुझे आपत्ति है। खदान का समर्थन करने वाला खदान वाले का ड्रायवर है।

13. **श्री प्रवीण कुमार बंजारे, ग्राम–खुर्सीपार, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
- खदान खुलने का जितने लोग समर्थन कर रहे हैं वो खदान वालों के मुंशी या ड्रायवर है। किसी भी गांव वाले को खदान खुलने का समर्थन नहीं है। भूपेन्द्र सिंह सलूजा का खदान खेत से लगा हुआ है। इसे गांव से अनुमति नही दी गई है। इसीलिये यह खदान नहीं खुलना चाहिए। खदान मालिको से निवेदन करता हूं कि वो गांव में आकर लोगों को योग्यता अनुसार अपने काम में रखे।

14. **श्री सुनील कुमार टण्डन, ग्राम–घोटिया, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
- खदान खुलने से लोगों को रोजगार मिलेगा तथा गांव में रायल्टी आयेगा जिससे विकास होगा इसीलिये मैं खदान खुलने का समर्थन करता हूं।

15. **श्री पंचराम यादव, ग्राम–खुर्सीपार, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**
- अभी जितने लोग सहमति प्रदान कर रहे हैं वे लोग गांव के बाहर से हैं। इसीलिये खदान खुलने से आपत्ति है।

16. **श्री कामता प्रसाद बंजारे, ग्राम–घोटिया, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**

➢ मैं खदान का समर्थन करता हूं।

17. **श्री नरेन्द्र, ग्राम–घोटिया, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**

➢ खदान नहीं खुलना चाहिए।

18. **श्री संतूलाल सिंह मौर, ग्राम–खुर्सीपार, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**

➢ जितने भी क्रशर और खदान के ब्लास्टिंग से हम लोग त्रस्त हैं। जितने भी बाहर के लोग आवेदन दे रहे हैं वे सेठ लोगों के ड्रायवर हैं। इसलिये खदान को एनओसी नही देना चाहिए। खदान बन्द होना चाहिए।

19. **श्री भानू प्रताव सिह मौर, ग्राम–खुर्सीपार,जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**

➢ यहां गांव के बाहरी लोग खदान खुलना चाहिए बोल रहे हैं। हमारे गांव वालों के बातों में प्राथमिकता देना चाहिए। यहां पढ़े लिखे युवा ड्रायवर है जिन्हें काम पर लेना चाहिए। लेकिन यहां सभी लोग बाहरी है जो खदान में काम करते हैं। खदानों की गाड़ियां बार बार चलने से सड़क में गड्ढे हो जाते हैं और धूल मिट्टी उड़ता है जिससे स्कूली बच्चों को समस्या होती है। इसीलिये गांव वाले चाहते हैं कि खनन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

20. **श्रीमती गायत्री सिह मौर, ग्राम–खुर्सीपार, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**

➢ खदान की वजह से धान का उत्पादन नही होता है। ब्लास्टिंग से पत्थर उड़कर खेतों में आता है। इसीलिये गांव में खदान नहीं खुलना चाहिए।

21. **श्री दुखवा यादव, ग्राम–खुर्सीपार,जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**

➢ जो खुल गये ओ खुल गये। अब और खदान नहीं खुलना चाहिए। फसल को बहुत नुकसान होता है।

22. **श्री खोमन लाल यादव, ग्राम–खुर्सीपार,जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**

➢ खदान खुलने के समर्थक लोग आसपास के गांव के और इस गांव के नहीं है। सब बाहरी लोग है।

23. **श्रीमती मथुरा कोसरे, ग्राम–खुर्सीपार,जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**

➢ हमारे गांव में क्रशर नहीं चाहिए। जितने भी क्रशर हैं उन्होंने पेड़ पौधा नही लगाया है। धूल मिट्टा उड़ता है।

24. **श्रीमती राम बाई, ग्राम–खुर्सीपार,जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**

➢ खदान में पानी भरा रहता है। जिससे खेतों में कोई लाभ नही होता है।

25. **श्रीमती गिरजा बाई सिरमोर, ग्राम–खुर्सीपार, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**

➢ खदानों में पानी भरा रहता है। खदानों का धूल मिट्टी उड़कर गांव में आता है खदान नहीं खुलना चाहिए।

26. **श्रीमती कमला बाई, ग्राम–खुर्सीपार,जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**

➢ बडे बड़े खदानों में जानवर जाने से उनका पैर टूट जाता है। उनका ईलाज करवाना पड़ता है। खदान नहीं खुलना चाहिए। खदानों से उड़ने वाला धूल मिट्टी घरों के पानी में उड़कर आता है।

27. **श्री विमल कुमार सिहमौर, ग्राम–खुर्सीपार,जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई।**

➢ सभी क्रशर प्लांट को पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाये। इससे बोर का वॉटर लेवल दिनों दिन कम होते जा रहा है।

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अपर कलेक्टर, जिला–खैरागढ़–'छुईखदान–गण्डई तथा क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब क्षेत्रीय अधिकारी, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावको को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावको की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट श्री जगमोहन चंद्रा, रायपुर द्वारा परियोजनाओं के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मौखिक मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

- यह एक नई खदान है। हमारे द्वारा अधिकृत ब्लास्टर से ही ब्लास्टिंग करवाया जायेगा। जिससे धूल नहीं उड़ेगा और वॉटर लेवल डाउन नही होगा।
- हमारे द्वारा वृक्षारोपण करवाया जायेगा जिससे धूल खेतों में न जाये।
- खदान चालू करने के पहले खदान को चारो ओर से फेंसिंग कराया जायेगा। जिससे भविष्य में जानवर या कोई व्यक्ति खदान की ओर न जाये।
- रोजगार में पहले गांव वालों को ही प्राथमिकता दी जायेगी।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 55 आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणीयां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजनाओं के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान कुल 27 व्यक्तियों द्वारा मौखिक आपत्ति, सुझाव, विचार एवं टीका–टिप्पणियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमुदाय में से कुल 38 लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अपर कलेक्टर, जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जनसमुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर 01:30 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

अपर कलेक्टर
जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई